भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **516**

जिसका उत्तर मंगलवार, 25 जून, 2019/04 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों का मूल्य

516. श्रीमती गीतीबेन वर्जसिंहभाई राठवाः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उर्वरक-वार क्या कारण हैं;
(ग) देश में उर्वरकों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की निगरानी करने संबंधी मौजूदा तंत्र क्या है;
(घ) क्या बुआई के मौसम में किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और
(ड.) सरकार द्वारा किसानों को सस्ते मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

उत्तर
रसायन और उर्वरक मंत्री
(श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क): जी नहीं। फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। पीएंडके उर्वरकों के लिए सरकार ने 1.4.2010 से पोषकतत्व आधारित राजसहायता नीति कार्यान्वित की है। इस नीति के तहत वार्षिक आधार पर तय की गई राजसहायता की एक नियत राशि राजसहायताप्राप्त पीएंडक उर्वरकों पर उनके पोषकतत्व अवयवों के आधार पर दी जाती है। इस नीति के तहत एमआरपी उर्वरक कंपनियों द्वारा बाजार के उतार-चढ़ावों के अनुसार तर्कसंगत स्तर पर नियत की जाती है।

जबकि यूरिया के मामले में 01.11.2012 से 50 कि.ग्रा. की यूरिया की बोरी का एमआरपी 268 रुपये प्रति बोरी (नीम लेपन प्रभारों तथा लागू करों को छोड़कर) नियत कर दिया गया था। तदुपरांत 04.09.2017 की अधिसूचना के जरिये, भारत सरकार ने विद्यमान 50 कि.ग्रा. की बोरी के स्थान पर यूरिया की 45 कि.ग्रा. की बोरी की शुरुआत करने का निर्णय लिया था। 45 कि.ग्रा. की यूरिया की बोरी का एमआरपी 242 रुपये प्रति बोरी (नीम लेपन प्रभारों तथा लागू करों को छोड़कर) है।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (ड.): किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर प्रदान किया जा रहा है। इसलिए, कीमतों की अस्थिरता का प्रश्न नहीं उठता। जबकि पीएंडके उर्वरकों में उर्वरक कंपनियों द्वारा नियत की गई पीएंडके उर्वरकों की एमआरपी की तर्कसंगतता की जांच एनबीएस स्कीम के तहत उर्वरक विभाग द्वारा की जाती है। प्रावधानों में यह उपबंध किया गया है कि ऐसे मामलों में जिनमें जांच के बाद एमआरपी तर्कसंगत नहीं पाई जाती अथवा उत्पादन या अधिग्रहण की लागत तथा बोरियों पर मुद्रित एमआरपी के बीच कोई सह-संबंध नहीं होता है तो उन उत्पादों को एनबीएस स्कीम के तहत राजसहायता हेतु अन्यथा पात्र होते हुए भी उनकी राजसहायता को सीमित किया जा सकता है अथवा नकारा जा सकता है। राजसहायता कार्यतंत्र के दुरुपयोग के साबित मामले में उर्वरक विभाग अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिश पर कंपनी विशेष के किसी उर्वरक ग्रेड/ग्रेडों को अथवा उस कंपनी को ही एनबीएस स्कीम से बाहर कर सकता है।

बुआई मौसमों के दौरान उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

प्रत्येक फसली मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की मांग का आकलन करता है। मांग के आकलन के पश्चात डीएसीएण्डएफडब्ल्यू उर्वरकों की माह-वार आवश्यकता का अनुमान लगाता है।

डीएसीएंडएफडब्ल्यू द्वारा दिए गए माह-वार और राज्य-वार अनुमान के आधार पर उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को उर्वरकों की यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है और निम्नलिखित प्रणाली के माध्यम से उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है:

(i) देशभर में राजसहायता प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जा रही है;

(ii) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे अपने राज्य की संस्थागत एजेंसियों जैसे मार्कफेड आदि के माध्यम से रेलवे रेकों के लिए समय पर मांग पत्र प्रस्तुत करके आपूर्तियों को सरल बनाने के लिए उर्वरकों के विनिर्माताओं और आयातकों के साथ समन्वय करें;

(iii) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू), उर्वरक विभाग (डीओएफ) और रेल मंत्रालय द्वारा राज्य कृषि पदाधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और उर्वरकों के प्रेषण के लिए राज्य सरकारों द्वारा यथा इंगित सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है;

(iv) मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौसम के लिए आयात को भी पहले से ही अंतिम रूप दे दिया जाता है।

इस प्रकार, ऊपर दर्शाए गए कदमों से उर्वरक विभाग राज्य स्तर पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है और राज्य में किसानों को वितरण करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को एमआरपी/तर्कसंगत मूल्यों पर उर्वरकों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(घ): वर्तमान खरीफ 2019 (अप्रैल से जून 2019 तक (18.06.2019 तक)) के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:-

<आंकड़े एलएमटी में>

	अनुमानित आवश्यकता	**उपलब्धता**	**बिक्री**
यूरिया	56.67	60.82	46.72
पीएंडके (डीएपी, एमओपी और मिश्रित)	44.55	71.22	27.38

स्रोत: आईएफएमएस

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि उर्वरकों की उपलब्धता बिक्री से अधिक रही है।

*****